न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी- श्री विनोद कुमार मीना RAS.

प्रकरण सं. 27/19 -

जिस्ट्री नं. प्रार्थना पत्र- 212 RTA

निर्णय- दिनांक - 25/6/19.

(1) प्रेमवती पुत्री खेमचन्द
(2) शकुन्तला W/o खेमचन्द — जाति- ब्राह्मण नि. पैंचोरा
(3) विजयसिंह पुत्र खेमचन्द — तह० नदबई (भरतपुर)

प्रार्थीगण

बनाम-

(1) रामअवतार पुत्र तोता जाति- ब्राह्मण नि. पैंचोरा
(2) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

उपस्थित। श्री भरतलाल चौधरी अधि.
श्री- जगनमातरा अधि-

प्रा.पत्र 212 RTA दि. 25/6/19

निर्णय!
—x—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा- 212 RTA के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि! - विवादित आराजी वाके- खाता सं. 475 के खसरा नं. 266 रकबा 0.20, 272 रकबा 0.18, 282 रकबा 0.15, 287 रकबा 0.22, 531 रकबा 0.07, एवं खाता सं. 477 के ख.नं. 364 रकबा 0.16, 365 रकबा 0.14 किता 2 रकबा 0.30 व आराजी खाता सं. 478 के खसरा नं. 251 रकबा 0.35 व खाता सं. 479 के आराजी ख.नं. 261 रकबा 0.31, खातासं. 480 के ख.नं. 352 रकबा 0.31, 353 रकबा 0.30 व खातासं. 481 के

उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

खा.नं. 254 रकबा 0.36, 725 रकबा 0.28, 753 रकबा 0.20, 755 रकबा 0.06, 756 रकबा 0.13, 758 रकबा 0.07 किता 6 रकबा 1.08 है आराजी खा.नं. 313 रकबा 0.01, 351 रकबा 0.29 किता 2 रकबा 0.30 वाके ग्राम टेन्टेरा तह. नदबई में स्थित है. वा.आ. प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है. जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सम्मिलित होकर काश्त करते चले आ रहे है. जबकि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य शेयर मोड आदि पर आपस में बटवारा बना रहता है अप्रार्थी की मर्जी से अच्छी आराजी ख.नं. 753 व 756 में जबरन जब के बल पर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है. जब शामिल रह कर काश्त करना सम्भव नहीं रहे हो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विवादित आराजी को मध्य उनके रिकार्ड में अंकित हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी के कुर्रेजात कायम कराये जाने की जरूरत है. अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को व मुकाम टेन्टेरा पर दिनांक 9.5.13 को धमकी दी कि वि.आ. खा.नं. 753, 756 में जबरन जब के बल पर पुख्ता निर्माण करके रहेंगे तथा प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर देंगे. जबकि अप्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यदि उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकदी ना हो सकेगी.

अतः प्रार्थना कि - प्रार्थना पत्र - 212 RTA स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुकदमा - अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे - कि वे वि.आ. में मदाखलत बेजा हस्तक्षेप ना करें - रहन व पुख्ता निर्माण ना करें - खा.नं. 753, 756 में पुख्ता निर्माण ना करें - मौके की यथा स्थिति बनाये रखें -

प्रार्थनापत्र - अन्तर्गत धारा - 212 RTA दर्ज रजि. किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थी. सं. 1 की ओर से श्री लखन सिंह अधि. उपस्थित हुए अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं एकतरफा कार्यवाही की गयी - अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये वकील - अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा न्याय प्रार्थी वकील को बहस सुनी. तथा अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र कहा कि!

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

अप्रार्थी द्वारा आराजी ख.नं. 352 रकबा 0.31, 352 रकबा 0.30, किता 2 रकबा 0.61 से 4/6 हिस्सा 354 रकबा 0.30, 725 रकबा- 0.28, 753 रकबा 0.20, 755 रकबा 0.08, 756 रकबा 0.13 758 रकबा 0.09 किता 6 रकबा 1.08 हैक्ट. का 1/9 हिस्सा कीमतन 1,65,000/- रु. में खरीद किया था. तथा मौके पर वक्त बयनामा- विक्रेता विजयसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति- ब्राह्मण नि. [?] द्वारा- 753 में कब्जा- प्राप्त किया जो कि सड़क से लगता हुआ है. नामी- कोई विवाद है- कब्जा के अनुसार यदि बटवारा किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है- जो कि 20-25 वर्ष से विक्रेता विजयसिंह का 753 स्थान पर कब्जा था- इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे.

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र 212 RTA के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत- 2074-77 वाके हेम्पेरा पेश की गई. तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में कोई दस्तावेजी- साक्ष्य- पेश नहीं किये गये- पक्षकारों की बहस- सुनी गई.

बाबत प्रार्थना पत्र- 212 RTA पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के वकीलों द्वारा बहस. की गई जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था. तथा उभय पक्ष कायम की वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रा. पर उपलब्ध रिकार्ड का अव- लोकन किया तो पाया कि- प्रार्थी द्वारा- प्रस्तुत नकल- जमाबंदी संवत-2074-77 वाके ग्राम हेम्पेरा पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सह खातेदारी का अंकन- हो रखा है. तथा सामलाती- सम्मिलित होकर काश्त- की आ रही है. जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी. [?] कब्जे चले आ रहे है- अब और मेड आदि को लेकर तनाव रहता है. अब काश्त करना. सम्भव नहीं है. परन्तु. उक्त विवादित- आराजी का अभी तक कानूनी रूप से बटवारा नहीं हुआ है. जब तक- अविभाजित आराजी का कानूनन बटवारा ना हो जाये तब तक- प्रत्येक सह खातेदार काश्तकार का प्रत्येक इंच पर अपना हिस्सा निहित रहता है. इसलिए मौके की यथास्थिति बनाये रखने न्यायोचित [?] दावा- प्रार्थी व अप्रार्थीगण को मय- 53,18 RTA के पेश किया है.

उपखण्ड अधिकारी [?]

Scanned by CamScanner

तथा अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में भी कहा है कि वादी-प्रार्थीगण कानून रूप से बंटवारा किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है. इसलिए विवादित- आराजीयात वाके ग्राम- उन्हेरा- तह. नदबई का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य- विभाजन ना हो जाए तब तक- मौके की यथास्थिति- बनाये रखने ~~[illegible]~~ हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा- को पारित- करना उचित है. प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन- अपरिमित क्षति- प्रार्थीगण के हक में है.

अतः आदेश दिया जाता है कि उभयपक्षकारान को [illegible] कि [illegible] ग्राम- तह. [illegible] के साथ- पाबंद किया जाता है कि विवादित- आ.ख.नं. 266, 272, 282, 287, 531, 364, 365, 251, 261, 352, 353, 254, 725, 753, 755, 756, 758, 313, 351 वाके ग्राम- उन्हेरा मौके की यथास्थिति- बनाये रखें तथा निर्माण कार्य नहीं करेंगे इस प्रकार निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है -

निर्णय- आज- दिनांक 25.6.13 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय- शामिल पत्रावली हो [illegible] के सत्य कुमार [illegible] द्वारा टाइप्ड हो

(वि[redacted])
[redacted] अधिकारी)
उपखंड
नदबई